—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 14 / 2023

उनवान

1. बाबू सिंह
2. नानू सिंह
3. पप्पू सिंह पि. रामा समस्त जाति रावत निवासी ग्राम ब्राह्मणों का बाडिया, राजोसी, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :—जरियें अधिवक्ता श्री राजेश गोमा

बनाम

1. लादू पुत्र हजारी
2. छोटी पत्नी गोपी
3. कालू
4. भंवर
5. रणजीत पि. गोपी समस्त जाति रावत निवासी ग्राम ब्राह्मणों का बाडिया, राजोसी, नसीराबाद
6. मैनेजर, यूनियन बैंक आफॅ इण्डिया, शाखा भवानीखेडा, नसीराबाद.
7. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 से 5 जरियें अधिवक्ता श्री रमेश रावत, 6 अनुपस्थित
7 जरियें राज. पैरोकार

8. तोफी पत्नी रामा
9. बलवन्त सिंह पुत्र रामा
10. भगवान सिंह पुत्र सुवा
11. सुवा पुत्री रामा
12. छोटीदेवी पत्नी रामा
13. देवी सिंह पुत्र बीरमा
14. पूसी पुत्री बीरमा
15. हरी सिंह पुत्र बीरमा
16. लादू सिंह पुत्र बीरमा
17. सावंर सिंह पुत्र बीरमा
18. राधा पत्नी मंगला
19. श्योजी पुत्र मंगला
20. मीरा पुत्री मंगला

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:17:15 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

21. हलकार पुत्र मंगला
22. बलकार पुत्र मंगला
23. सम्पत पुत्र मंगला समसत जाति रावत ब्राह्मणों का बाडिया, राजोसी, नसीराबाद

—— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :— अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: आदेश :— दिनांक :— 25.11.24

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ब्राह्मणों का बाडियां, राजोसी, नसीराबाद की निम्न आराजी प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की पुश्तेनी खातेदारी की है :—

पुराना खसरा नम्बर	हाल खसरा नम्बर	रकबा
1572 मिन	1952	0.44
1572 मिन	1953	0.03
1572 मिन	1954	0.01
1572 मिन	1955	0.41
1572 मिन	1956	0.42
1572 मिन	1957	0.56
1558	1969/5567	0.21

उक्त आराजी के वंर्किग मानचित्र से हाल खसरा नम्बर बनाते समय सीमाओं में परिवर्तन कर दिया। वंर्किग खसरा नम्बर 1572 की उत्तरी भुजा की लम्बाई 64 मीटर (पैमाना स्केल 1.6 से. मी.) में थी जिसके वर्तमान नक्शा में बने खसरा नम्बर 1953, 1954, 1956 में उत्तरी भुजा की लम्बाई 72 मीटर कर दी गयी है। वंर्किग खसरा नमबर 1572 की दक्षिण भुजा की लम्बाई 68 मीटर थी जिसे वर्तमान में बने नक्शे में खसरा नम्बर 1957 खसरे की दक्षिण भुजा की लम्बाई 44 मीटर कर दी गयी। वंर्किग खसरा नम्बर 1558 की उत्तरी—पूर्वी भुजा की लम्बाई वंर्किग नक्शें में 84 मीटर थी जिसके वर्तमान नक्शा में बने खसरा नम्बर 1569/5567 में उत्तरी—पूर्वी भुजा की लम्बाई को 64 मीटर व दक्षिण—पूर्वी भुजा की लम्बाई 76 मीटर थी को हाल नक्शे में 1969/5567 की दक्षिण—पूर्वी भुजा की लम्बाई 60 मीटर कर दी। वंर्किग खसरा नम्बर 1558 की पश्चिम भुजा की लम्बाई वंर्किग नक्शें में 52 मीटर थी, जिसको वर्तमान नकशें में बने खसरा नम्बर 1969/5567 में पश्चिम भुजा की लम्बाई 40 मीटर कर दी। उक्त त्रुटि के कारण मौके पर विवाद की आंशका उत्पन्न हो गयी है। अतः आराजी मुतनाजा के राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:17:15 IST
Reason: SelfAttested

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है किन्तु इस बाबत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद पेश करना चाहिये था। प्रार्थी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। न्यायालय द्वारा वंर्किग व हाल अभिलेख के आधार पर दुरूस्ती की जाती है तो जवाबकर्ता को कोई आपत्ति नही है। अप्रार्थी संख्या 6 व 8 से 23 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। हाल खसरा नम्बर 1952 से 1957 व 1969/5567 की आराजी प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी में है। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 1572 व 1558 मिन है। प्रार्थी का कथन है कि आराजी मुतनाजा के वंर्किग व हाल राजस्व मानचित्र में अन्तर हैं। जिसे दुरूस्त किया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने राजस्व मानचित्र दुरूस्ती का कोई खण्डन नही किया है। राज. पैरोकार द्वारा भी प्रकरण में जवाब पेश नही किया है। प्रार्थी का कथन है कि वंर्किग खसरा नम्बर 1572 की उत्तरी भुजा की लम्बाई 64 मीटर (पैमाना स्केल 1.6 से.मी.) में थी जिसके वर्तमान नक्शा में बने खसरा नम्बर 1953, 1954, 1956 में उत्तरी भुजा की लम्बाई 72 मीटर कर दी गयी है। वंर्किग खसरा नमबर 1572 की दक्षिण भुजा की लम्बाई 68 मीटर थी जिसे वर्तमान में बने नक्शे में खसरा नम्बर 1957 खसरे की दक्षिण भुजा की लम्बाई 44 मीटर कर दी गयी। वंर्किग खसरा नम्बर 1558 की उत्तरी–पूर्वी भुजा की लम्बाई वंर्किग नक्शें में 84 मीटर थी जिसके वर्तमान नक्शा में बने खसरा नम्बर 1569/5567 में उत्तरी–पूर्वी भुजा की लम्बाई को 64 मीटर व दक्षिण–पूर्वी भुजा की लम्बाई 76 मीटर थी को हाल नक्शे में 1969/5567 की दक्षिण–पूर्वी भुजा की लम्बाई 60 मीटर कर दी। वंर्किग खसरा नम्बर 1558 की पश्चिम भुजा की लम्बाई वंर्किग नक्शें में 52 मीटर थी, जिसको वर्तमान नकशें में बने खसरा नम्बर 1969/5567 में पश्चिम भुजा की लम्बाई 40 मीटर कर दी। आराजी मुतनाजा के वंर्किग व हाल राजस्व मानचित्र के अवलोकन व तुलना करने पर आराजी मुतनाजा का हाल राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। आराजी मुतनाजा के राजस्व मानचित्र को दुरूस्त करने से खातेदारी अधिकार व भूमि के रकबे पर कोई परिवर्तन नही होना है। राजस्व मानचित्र दुरूस्त करने से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से प्रार्थना पत्र के कथनों की ताईद होती है।

उक्तानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम ब्राह्मणों का बाडिया, राजोसी, नसीराबाद के हाल खसरा नम्बर 1952 से 1957 व 1969/5567 के हाल व वंर्किग राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटी को उक्तानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:17:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद